(Online No. 2020/00062)

प्रकरण सं0 03/2020

श्री धन्ना बनाम श्री सोहन वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त[illegible] अहकाम ज[illegible] हुक्त की त[illegible] में जारी
21/10/21	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 10/1/22 को पेश हो। आदेश से रीडर	
10/01/2022	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/04/22 को पेश हो। आदेश से रीडर	
20/4/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.12.2021 को वारिसान का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 एवं 09 सी.पी.सी. का पेश किया। शामिल फाईल किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी धन्ना बैरवा की दिनांक 10/5/2021 को मृत्यु हो गयी। प्रार्थी के विधिक वारिसान वास्ते दुरुस्ती प्रार्थना पत्र अनुसार 1 से 5 है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 03 एवं 09 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान पेश किया शामिल फाईल किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 127, 128 L.R. Act पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पुस्तक में दर्ज किया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 03/2020 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री धन्ना पुत्र श्री मांगु बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा मृतक के बजाय :–
   1/1 – फुमा पत्नी धन्ना बैरवा निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
   1/2– प्यारा पुत्र धन्ना बैरवा निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
   1/3 – पेमा पुत्र धन्ना बैरवा निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
   1/4 – भंवर पुत्र धन्ना बैरवा निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
   1/5 – सोहन पुत्र धन्ना बैरवा निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री सोहन पुत्र रतना बैरवा, निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2 श्रीमती सोसी पत्नी रतना बैरवा, निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3 श्री भैरू पिता काना बैरवा, निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4 श्री नन्दलाल पुत्र काना बैरवा, निवासी तेलीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5 श्री मगना पुत्र देवा बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
6 श्री देबीलाल पुत्र उगमा बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
7 श्री मदन पुत्र उगमा बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
8 श्री ईश्वर पुत्र गंगाराम बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
9 श्री भैरू पुत्र गंगाराम बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
10 श्री राजु पुत्र मगना बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
11 श्री महावीर पुत्र मगना बैरवा, निवासी खातनखेडी पोस्ट गोविन्दपुरा तह0 भीलवाडा।
12 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज.।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 20.04.2022</u>

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 पालडी भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 367/2 रकबा 08–16 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

Desktop/motidhar/111-128/april2022

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 पालडी भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 367/2 रकबा 08-16 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व0 धन्ना बैरवा के नाम होकर प्रार्थीगण विधिक वारीसान होने से कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम गोविन्दपुरा प0ह0 पालडी भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 367/2 रकबा 08-16 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 450/- रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/-रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 **सांगानेर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

Desktop/...